न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 7/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/69)	23.06.2025	03.11.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, नैनवां

— प्रार्थी

बनाम

नसरूद्दीन मंसूरी पुत्र बाबू खां,
निवासी पावर हाउस वाली गली, देई,
नगरपालिका देई, तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 7/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/69 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी वास्ते सुनवाई जर्ये नोटिस आहूत किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुका है किन्तु नियत पेशी दिनांक 06.10.2025 को अप्रार्थी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.05.2025 को पावर हाउस वाली गली देई के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित नसरूद्दीन मंसूरी पुत्र बाबू खां अपने घर के बाहर की गली में रिफलिंग करता हुआ पाया गया। उससे व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफलिंग मोटर का उपयोग किये जाने के संबंध जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। वक्त जांच नसरूद्दीन मंसूरी के पास घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने का कोई वैध लाईसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त एलपीजी सिलेण्डर को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला, इससे उसकी अनियमितता साबित होती है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफलिंग मोटर मय बिजली तार एवं प्लास्टिक के दो पाइप को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी एचपी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि राजेन्द्र जिन्दल की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय,वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मोटर के राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा गैस सिलेण्डर एसआर नं. 466566J HPCL गैस सहित शुद्ध वजन 16.00 कि.ग्रा. एवं गैस रिफलिंग मोटर मय बिजली तार एवं प्लास्टिक के दो पाइप के राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जावे एवं गैस रिफलिंग मोटर एवं सामग्री बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)